

525

पत्रावली पैरा 23, वकील वादी अनुपस्थित  
वादी ऐव वादी के अधि रक्का को किवनी  
बार कंक-कंक कर आवाजे दिलायी जाने  
के बाद भी उपस्थित नहीं। वकील वादी  
के अनुपस्थित रहने से वादी का वादपत्र  
अदम हाजरी / अदम पैखी में स्वारीज किया  
जाता है। पत्रावली फेरसल शुमार होकर  
जम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा